Model Answer

Que. Discuss the key features of Scheduled Areas under the Fifth Schedule. What are the issues pertaining to the Scheduled Areas?

The Fifth Schedule of the Indian Constitution is specifically designed to protect the interests of the Scheduled Tribes (STs) in India. It recognizes the unique status of tribal populations in certain areas, termed as "Scheduled Areas." The provisions under the Fifth Schedule aim to prevent exploitation, preserve tribal culture, and promote their welfare through special governance mechanisms.

Key Features of Scheduled Areas under the Fifth Schedule:

- **Definition and Identification of Scheduled Areas:**
  - Scheduled Areas are regions identified by the President of India, primarily based on the concentration of tribal populations. These areas are notified under the Fifth Schedule to ensure that tribal communities receive special protection and care.
  - The list of Scheduled Areas is subject to revision by the President, who may alter or modify the designation based on changing socio-economic conditions.
- **Role of the Governor:**
  - The Governor of a state with Scheduled Areas has significant powers to govern these regions, which includes enacting regulations to protect the tribals. For example, the Governor can prohibit the transfer of tribal land to non-tribals, thus preventing land alienation.
  - The Governor has the authority to appoint a Tribal Advisory Council (TAC) to advise on matters concerning the welfare and advancement of Scheduled Tribes.
- **Tribal Advisory Council (TAC):**
  - A TAC is constituted to provide a forum for the discussion of issues affecting tribals and to recommend appropriate measures for their socio-economic development. This council plays an advisory role in shaping policies related to the tribals.
  - The TAC comprises members from the Scheduled Tribes and acts as a bridge between the tribal communities and the government.
- **Regulation of Land and Resources:**
  - The Fifth Schedule gives the Governor the authority to regulate or prohibit the transfer of tribal land to non-tribals to prevent exploitation. In some cases, the Governor can impose restrictions on the sale, lease, or mortgage of tribal land.
  - This measure aims to preserve the tribal way of life and their traditional resource-based economy.
- **Autonomy in Administration:**
  - The governance of Scheduled Areas involves a mixture of state and central control, with the primary responsibility resting on the state government. However, the Governor's special powers help ensure that decisions concerning these areas take into account the unique needs and challenges faced by the tribal communities.
  - The administration often operates through the Scheduled Tribe welfare departments at the state and central levels.

Issues Pertaining to Scheduled Areas:

- **Land Alienation and Exploitation**: Despite legal safeguards, tribal land is often exploited and alienated by non-tribals, especially due to development projects, leading to displacement and loss of livelihood.
- **Economic Underdevelopment**: Many tribal areas remain underdeveloped, lacking basic infrastructure, education, and healthcare. Economic marginalization exacerbates poverty and dependency.
- **Displacement**: Development projects like mining and dams often displace tribal populations without adequate compensation or rehabilitation, disrupting their social fabric.
- **Security and Law and Order Concerns:** Tribal areas, especially in states like Chhattisgarh, Jharkhand, and Odisha, are often prone to insurgency and Maoist activities due to the alienation of tribal populations.

- **Political Representation and Autonomy:**While the Fifth Schedule provides for the establishment of Tribal Advisory Councils, the actual political representation of tribals in decision-making processes remains limited.

Hence, to effectively address the issues in the Scheduled Areas, it is essential to ensure better enforcement of constitutional safeguards, improve governance mechanisms, and provide more substantial support for tribal empowerment and socio-economic development.

Samyak
An Institute For Civil Services

पाँचवीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करें। अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित क्या समस्याएँ हैं?

भारतीय संविधान की पांचवीं अनुसूची विशेष रूप से भारत में अनुसूचित जनजातियों (ST) के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई है। यह कुछ क्षेत्रों में आदिवासी आबादी की विशिष्ट स्थिति को मान्यता देता है, जिन्हें "अनुसूचित क्षेत्र" कहा जाता है। पांचवीं अनुसूची के तहत प्रावधानों का उद्देश्य शोषण रोकना, आदिवासी संस्कृति संरक्षित करना और विशेष शासन तंत्र के माध्यम से उनके कल्याण को बढ़ावा देना है।

पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों की मुख्य विशेषताएं:

- **अनुसूचित क्षेत्रों की परिभाषा एवं पहचान:**
    - अनुसूचित क्षेत्र भारत के राष्ट्रपति द्वारा मान्यता प्राप्त क्षेत्र हैं, जो मुख्य रूप से आदिवासी आबादी की सघनता के आधार पर होते हैं। इन क्षेत्रों को पांचवीं अनुसूची के तहत अधिसूचित किया जाता है ताकि आदिवासी समुदायों को विशेष सुरक्षा और देखभाल सुनिश्चित की जा सके।
    - अनुसूचित क्षेत्रों की सूची राष्ट्रपति द्वारा संशोधन के अधीन होती है, जो बदलती सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के आधार पर पदनाम को बदल या संशोधित कर सकते हैं।
- **राज्यपाल की भूमिका:**
    - अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य के राज्यपाल के पास इन क्षेत्रों पर शासन करने के लिए महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं, जिसमें आदिवासियों की सुरक्षा के लिए नियम बनाना शामिल है। उदाहरण के लिए, राज्यपाल आदिवासी भूमि को गैर-आदिवासियों को हस्तांतरण को रोक सकता है।
    - राज्यपाल के पास अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित मामलों पर सलाह देने के लिए एक आदिवासी सलाहकार परिषद (TAC) नियुक्त करने का अधिकार है।
- **जनजातीय सलाहकार परिषद (TAC):**
    - आदिवासियों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करने और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए उचित उपायों की सिफारिश करने के लिए TAC का गठन किया जाता है।
    - यह परिषद आदिवासियों से संबंधित नीतियों को आकार देने में सलाहकार की भूमिका निभाती है। TAC में अनुसूचित जनजातियों के सदस्य शामिल होते हैं और यह आदिवासी समुदायों और सरकार के बीच सेतु का काम करता है।
- **भूमि एवं संसाधनों का विनियमन:**
    - पांचवीं अनुसूची राज्यपाल को आदिवासी भूमि को गैर-आदिवासियों को हस्तांतरण को विनियमित या प्रतिबंधित करने का अधिकार देती है। कुछ मामलों में, राज्यपाल आदिवासी भूमि की बिक्री, पट्टे या बंधक पर प्रतिबंध लगा सकते हैं।
    - इस उपाय का उद्देश्य आदिवासी संस्कृति और उनकी पारंपरिक संसाधन-आधारित अर्थव्यवस्था को संरक्षित करना है।
- **प्रशासन में स्वायत्तता:**
    - अनुसूचित क्षेत्रों के शासन में राज्य और केंद्र दोनों का नियंत्रण शामिल है, जिसमें प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार पर है। हालांकि, राज्यपाल यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि इन क्षेत्रों से संबंधित निर्णय आदिवासी समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए लिए जाएं।
    - प्रशासन अक्सर राज्य और केंद्र स्तर पर अनुसूचित जनजाति कल्याण विभागों के माध्यम से संचालित होता है।

अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित मुद्दे:

- **भूमि हस्तांतरण एवं शोषण:** कानूनी सुरक्षा उपायों के बावजूद, जनजातीय भूमि का गैर-आदिवासियों द्वारा शोषण किया जाता है और उनसे भूमि छीन ली जाती है (विशेष रूप से विकास परियोजनाओं के कारण) जिसके परिणामस्वरूप विस्थापन एवं आजीविका की हानी होती है।
- **आर्थिक अल्पविकास**: कई आदिवासी क्षेत्र अविकसित हैं, जहां बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल का अभाव है। आर्थिक सीमांतता गरीबी और निर्भरता को बढ़ाती है।
- **विस्थापन**: खनन एवं बांध निर्माण जैसी विकास परियोजनाएं प्रायः जनजातीय आबादी को पर्याप्त मुआवाज़ें या पुनर्वास बिना विस्थापित कर देती हैं।
- **सुरक्षा और कानून एवं व्यवस्था संबंधी चिंताएँ:** जनजातीय क्षेत्र, विशेषकर छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों में, जनजातीय आबादी के अलगाव के कारण अक्सर उग्रवाद और माओवादी गतिविधियों की आशंका बनी रहती है।
- **राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं स्वायत्तता:** यद्यपि पांचवीं अनुसूची में जनजातीय सलाहकार परिषदों की स्थापना का प्रावधान है, फिर भी निर्णय लेने की प्रक्रिया में आदिवासियों का वास्तविक राजनीतिक प्रतिनिधित्व सीमित है।

इसलिए, अनुसूचित क्षेत्रों में मुद्दों को प्रभावी ढंग से हल करने हेतु संवैधानिक सुरक्षा उपायों का बेहतर प्रवर्तन सुनिश्चित करना, शासन तंत्र में सुधार करना और जनजातीय सशक्तीकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अधिक ठोस समर्थन प्रदान करना आवश्यक है।

Samyak
An Institute For Civil Services